FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0123 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 22/05/2025 17:43 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 17/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 21/12/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:45 बजे **Time To (समय तक):** 19:32 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 22/05/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 22/05/2025 17:43:58 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 03 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** APEX CIRCLE KE PASS,, MALVIYA NAGAR, JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SATPAL VALMIKEE

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RATANLAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1985 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	67/1, VALMIKEE COLONY,, MALVIYA NAGAR,JAIPUR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	67/1, VALMIKEE COLONY,, MALVIYA NAGAR,JAIPUR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	GIRIRAJ PARSAD GURJAR		पिता:RAMDEV GURJAR	1. GRAM DHAMSYA POST DHULARAVJI,JAMVARAMGARH ,JAMWA RAMGARH,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
2	SONU		पिता:LAET. PREMCHAND	1. 9/5,APEX CIRCLE KE PASS,,VALMIKEE COLONY,MALVIYA NAGAR JAIPUR,JAIPUR CITY

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात प्रकरण इस प्रकार से हैं कि दिनांक 17.12.2024 को अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम ने परिवादी श्री सतपाल वाल्मिकी पुत्र श्री रतनलाल, जाति वाल्मिकी, उम्र 40 वर्ष, निवासी 67/1, वाल्मिकी कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर से परिचय करवाते हुये परिवादी श्री सतपाल वाल्मिकी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन कर परिवादी श्री सतपाल वाल्मिकी से पूछताछ करने पर अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुये बताया कि मैं हाउस कीपिंग का काम करता हूं तथा मैं 67/1, वाल्मिकी कॉलोनी, मालवीय नगर जयपुर में मय परिवार निवास करता हूं। यह मकान मेरे पिताजी रतनलाल जी के नाम है जो मेरे साथ रहते हैं, उक्त प्लाट में एक हिस्से में मैंने तथा दूसरे हिस्से में मेरे बडे़ भाई हरदयाल ने मकान बनवा रखा है जो खाली है। हरदयाल स्वयं जामडोली, आगरा रोड, जयपुर में रहता है जो कभी-कभी पिताजी से मिलने आता है। अभी कुछ समय पहले हरदयाल ने मेरे पिताजी से 10 लाख रूपये मांगे जो उन्होनें नहीं दिये। मेरे पिताजी का लगाव मेरे से है मेरे पिताजी जो मेरे साथ मेरे बनवाये हुये उक्त प्लॉट के मकान में रहते हैं। मेरे भाई को उनके द्वारा रूपये नहीं देने के कारण एक दिन वो आया तथा जिस कमरे में मेरे पिताजी रहते थे उन्हें निकाल कर उनका सामान मेरे मकान के हिस्से में रख दिया और कमरे में अपना सामान रख के ताला लगाकर चला गया और अभी कुछ समय पहले मेरे खिलाफ सामान चोरी तथा जेवर चोरी आदि के संबंध में मेरे खिलाफ पुलिस थाना मालवीय नगर में रिपोर्ट करा दी, रिपोर्ट का नम्बर मुझे पता नहीं है। जिस पर दिनांक 15.12.2024 को मालवीय नगर थाने से एक एएसआई जिसने अपना नाम गिरिराज और पुलिस थाना मालवीय नगर का होना बताया, मेरे भाई के साथ मकान पर आया और मुझे गिरफ्तार करने की धमकी देकर और थाने आकर मिलने की बोलकर उनके साथ वापस चला गया। जिस पर मैं आज सुबह पुलिस थाना मालवीय नगर गिरिराज से मिला तब भी उसने मुझे धमकाया और कहा अभी तो तू जा तेरे को घर से उठा कर बन्द करूगां। डर के कारण पुलिस थाना मालवीय नगर में सोनू पटूना की जानकारी होने के कारण आज मैं शाम करीब 4 बजे सोनू पटूना से मिला जिसने मेरे सामने अपने फोन से गिरिराज से बात की और सोनू ने गिरिराज सिंह से बात करने के बाद मुझे कहा कि गिरिराज तुम्हें गिरफ्तार नहीं करने और तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही नहीं करने की ऐवज में खर्चे पानी के रूपये मांगे हैं और बीस-तीस हजार रूपये में हम तेरा काम कर देंगे। तू चिन्ता मत कर मेरी जिम्मेदारी है। सोनू और गिरिराज मेरे विरूद्ध पुलिस थाना मालवीय नगर में दर्ज झूठी रिपोर्ट पर गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं और मुझे गिरफ्तार नहीं करने की और मेरे विरूद्ध दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं करने की ऐवज में खर्चे पानी की बतौर बीस-तीस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं जो मैं नहीं देना चाहता हूं और उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी सोनू पटूना और गिरिराज से कोई रंजिश, उधार या लेन-देन बकाया नहीं है रिपोर्ट करता हूं कानूनी कार्यवाही करें। मजीद दरियाफ्त पर पूछने पर परिवादी ने उपरोक्त परिवाद स्वयं द्वारा लिखना व लिखित कथनों की ताईद की। प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने का पाया जाने पर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू एवं बन्द तथा वार्ता रिकॉर्ड करने की विधि समझाई जाकर फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की गई तथा कार्यालय के श्री मनु शर्मा कानि. को परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन वार्ता करवाने के निर्देश दिये जाकर परिवादी के साथ श्री मनु शर्मा कानि. को रवाना किया गया। उसके बाद श्री मनु शर्मा कानि. ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल बताया कि मैं व परिवादी श्री सतपाल वाल्मिकी कार्यालय से रवाना होकर मालवीय नगर में अपेक्स सर्किल के पास पहुंच कर वाल्मिकी कॉलोनी के गेट के पास परिवादी सतपाल वाल्मिकी को संदिग्ध आरोपी की मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने एवं मुनासिब हिदायत कर डिजिटल वाईस

रिकॉर्डर चालू कर रवाना किया तथा मैं अपनी उपस्थिति छुपाकर मुकीम हुआ। उसके काफी समय पश्चात परिवादी श्री सतपाल वाल्मिकी ने मेरे को फोन किया व बताया कि संदिग्ध आरोपी से वार्ता हो गई है तथा वह अब दूरदर्शन के पास खड़ा है। जिस पर मैंने दूरदर्शन के पास पहुंच कर परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर प्राप्त किया और परिवादी ने मेरे को बताया कि "मेरे को सोनू कॉलोनी के गेट पर ही मिल गया, जिसने बताया कि मैं अभी गिरीराज जी से मोबाईल पर आपके मामले में ही बातचीत कर रहा था, उसके बाद सोनू ने गिरीराज को वहीं पर आने के लिए कहा तो थोड़ी देर बाद गिरीराज जी पुलिस वाले अपनी मोटर साईकिल से वहीं पर आ गये। सोनू तथा पुलिस वाले गिरीराज से मेरी रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता हुई, उन्होंनें मेरे विरूद्ध पुलिस थाना मालवीय नगर में दर्ज झूठी रिपोर्ट पर मुझे गिरफ्तार नहीं करने और मेरे विरूद्ध दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं करने की ऐवज में 20,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की, मेरे द्वारा हाथा-जोड़ी करने पर 15,000 रुपये देना तय हुआ। उसके बाद मैं व गिरीराज जी मेरी मोटरसाईकिल पर मेरे घर पर गये, जहां गिरीराज ने हमारे मकान का नक्शा बनाया, उसके बाद हम वापस वहां पर आ गये, जहां पर मैंने गिरीराज को छोड़ दिया। हमारे मध्य हुई सम्पूर्ण बातचीत को मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है।" डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मैंने मेरे पास सुरक्षित रख लिया है। परिवादी को अभी आवश्यक कार्य होने से मेरे साथ कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकेगा। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कानि. को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि सहित परिवादी को अगले दिन दिनांक 18.12.2024 कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की गई तथा कानि. मनु शर्मा को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखने की हिदायत की गई। उसके बाद दिनांक 18.12.2024 को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मनु शर्मा कानि. से कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखा डीवीआर प्राप्त कर सरसरी तौर पर सुना गया तो संदिग्ध आरोपीणगण श्री सोनू व श्री गिरिराज एएसआई द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग होना पाई गई तथा रिश्वत लेन-देन होने की पूर्ण सभांवना होने पर कार्यालय राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. झालाना डूंगरी, जयपुर से 02 स्वतंत्र गवाह चाहे जाने पर स्वतंत्र गवाहान श्री मनजीत सिंह कनिष्ठ लिपिक व श्री रुपनारायण मीणा कार्मिक कार्यालय में उपस्थित आये तथा परिवादी श्री सतपाल भी आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि सहित कार्यालय में उपस्थित आया। दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मनजीत सिंह, श्री रुपनारायण मीणा तथा परिवादी श्री सतपाल वाल्मिकी एवं कार्यालय स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान से उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने बाबत पूछा तो दोनों ने स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति व्यक्त की। तत्पश्चात परिवादी श्री सतपाल वाल्मिकी की संदिग्ध आरोपीगण के मध्य दिनांक 17.12.2024 को रिश्वती मांग सत्यापन के समय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष लेपटॉप की सहायता से सुना जाकर 06 खाली डीवीडी में बर्न किया जाकर मार्क अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। उनमें से डीवीडी मार्क ए-1, ए-2, ए-3 व ए-4 को अलग-अलग प्लास्टिक सीडी कवर में रखकर अलग-अलग सफेद कपडे़ की थैलियों में रख कर शील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी ली गयी तथा डीवीडी मार्क ए-5 व ए-6 पत्रावली के संलग्न खुली रखी गयी। रिश्वत मांग सत्यापन हेतु उपयोग में लिए गये एसडीकार्ड/मेमोरी कार्ड को पृथक से प्लास्टिक कवर में डालकर माचिस की डिब्बी में रखकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर कपडे की थैली पर मार्क अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उसके बाद स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सतपाल वाल्मिकी को कहने पर उसने अपने पास से संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15,000 रूपये मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। रिश्वती नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित किया जाकर सभी नोटों पर श्रीमती संजू महिला कानि. 220 से स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री सतपाल वाल्मिकी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह से लिवाई जाकर परिवादी के पास उसके मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं छोड़ी गई। तत्पश्चात उक्त पाउडर युक्त नोट 15,000 रुपये परिवादी श्री सतपाल वाल्मिकी की पहनी हुई पेंट की सामने की दांयी जेब में रखवाये गये और परिवादी को हिदायत दी गई तथा आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद परिस्थिति अनुसार ट्रेप पार्टी को मुकर्रर ईशारा करें। इसके बाद गवाहान व परिवादी को फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाया गया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकाल कर उसमें नया एसडी कार्ड डालकर परिवादी श्री सतपाल वाल्मिकी को सुपुर्द किया तथा परिवादी श्री सतपाल वाल्मिकी को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने की हिदायत दी गई। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार श्री गिरिराज एएसआई द्वारा स्वंय रिश्वती राशि प्राप्त नहीं की जाकर अपने दलाल श्री सोनू के मार्फत प्राप्त की जानी है। इसलिए रिश्वती राशि का लेन-देन श्री सोनू से करवाने हेतु दिनांक 18-12-2024 को समय 06.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नीरज गुरनानी, स्वतंत्र गवाहान श्री मनजीत सिंह कनिष्ठ लिपिक व श्री रुपनारायण मीणा, श्री आलोक कुमार एएसआई, हरिसिंह कानि. 19, बंशीधर कानि. 24, लालु कानि. 418, आशीष कानि. 208 मय टे³प बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान के ब्यूरो कार्यालय जयपुर से जरिये सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 यूडी 1394 मय चालक के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से गोपनीय कार्यवाही के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी श्री सतपाल वाल्मिकी को भी श्री मनु शर्मा कानि. 111 के साथ निजी मोटर साईकिल से अपैक्स सर्किल के पास मिलने के लिए हिदायत कर रवाना किया जाकर मन् उप अधीक्षक

पुलिस स्वतंत्र गवाहान व हमराह जाप्ता के मालवीय नगर, अपेक्स सर्किल के पास पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री सतपाल वाल्मिकी भी श्री मनु शर्मा कानि. के साथ मोटर साईकिल से पहुंचे तथा परिवादी से संदिग्ध आरोपीगण की उपस्थिति के बारे में पूछा गया तो बताया कि मेरे से रिश्वत राशि सोनू ही प्राप्त करेगा, जो इस समय लगभग वाल्मिकी कॉलोनी के गेट के पास ही बैठता है। जिस पर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर संदिग्ध आरोपी की उपस्थिति एवं उससे होने वाली वार्ता के दौरान डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालु करने की आवश्यक हिदायत कर संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क करने हेतु वाल्मिकी कॉलोनी के गेट की तरफ रवाना किया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी आवश्यक हिदायत कर परिवादी के पीछे-पीछे आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस भी पीछे-पीछे रवाना हुआ और परिवादी वाल्मिकी गेट के पास पहुंचने के बाद संदिग्ध आरोपी का इंतजार करता रहा एवं वहीं आस-पास में संदिग्ध आरोपी को देखने के लिए चहल-कदमी करता रहा। इसके बाद समय 06.55 पीएम पर पूर्व का रवाना शुदा परिवादी बिना कोई ईशारा किये ही पैदल-पैदल वापस अपैक्स सर्किल की तरफ चला गया, मन उप अधीक्षक पुलिस भी परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर बंद हालात में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर वापस सुपुर्द कर परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं सोनू से सम्पर्क करने हेतु वाल्मिकी कॉलोनी के गेट के पास पहुंचा जहां पर मेरे को सोनू मौजूद नहीं मिला, मैंने उसके बारे में आस-पास में मालुमात किया लेकिन उससे सम्पर्क नहीं हो सका तत्पश्चात मेरी उससे मेरे मोबाईल नं. [redacted] व उसके मोबाईल नं. [redacted] पर वार्ता हुई तो उसने मेरे को वाल्मिकी कॉलोनी के गेट के पास ही काफी देर इंतजार करवाने के बाद भी वह वहां पर नहीं आया, अब उसके आने की संभावना नहीं है। ट्रेप कार्यवाही की सभांवना नहीं होने कारण मन् उप अधीक्षक पुलिस हमराही जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान लेकर सरकारी व निजी वाहनों से रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचा तथा परिवादी को संदिग्ध आरोपीगण से रिश्वत के संबंध में कोई वार्ता/सम्पर्क होने पर शीघ्र अवगत कराने की हिदायत की गई। इसके बाद परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी द्वारा संदिग्ध आरोपीगण से रिश्वत राशि के संबंध में अभी तक कोई वार्ता व सम्पर्क नहीं होना बताया। जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत की गई। उसके बाद दिनांक 28.01.2025 को परिवादी श्री सतपाल कार्यालय में उपस्थित आया तथा परिवादी ने बताया श्री सोनू व श्री गिरिराज एएसआई ने मेरे से रिश्वत राशि के संबंध में कोई वार्ता नहीं की है, फिर भी अगर कुछ समय में श्री सोनू या श्री गिरिराज एएसआई मेरे से रिश्वत राशि मांगेगे तो मैं आगे आकर आपको स्वंय सूचित कर दूंगा तथा उसके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत 15,000 रुपये की उसको घरेलु कार्य हेतु अत्यंत आवश्यकता होने पर रुपये वापस चाहे जाने पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये 15,000 रुपये परिवादी को लौटाये गये। तत्पश्चात दिनांक 18.03.2025 को परिवादी श्री सतपाल कार्यालय में उपस्थित आया जिसने बताया कि अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनको शक हो गया है और इस मामले में अब श्री सोनू व श्री गिरिराज जी मुझसे रिश्वती राशि प्राप्त नहीं करेगें। इसलिए किसी भी सूरत में ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं है। अतः अब तक हुई कार्यवाही के अनुसार आप कानूनी कार्यवाही करें। चुंकि प्रकरण में संदिग्ध आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने की संभांवना नहीं होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नहीं की जा सकी। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से आरोपीगण श्री गिरिराज एएसआई व श्री सोनू तथा परिवादी श्री सतपाल के मध्य निम्न वार्ताऐं किः- एसओ सोनू- "तो ही मैं तेरे दो रूपये उसको दिलाऊगां नहीं तो में एक रूपया तेरा नहीं", एसओ सोनू- "कांई करोला बताओ थे तो", परिवादी- "भाई देखो म न तो देखो समझू कोने काई जो भी काई होवे ज्यो साफ बोल दयो" एसओ सोनू- "कोई किन्तु परन्तु कोन छ काल न या न होणी चाहिये जे आपणो इमे कोन छै साब निकाले ला तो में निकालेला डाले ला तो में डाले ला भाया इने बन्द कर दे तू", एसओ सोनू- "अब बताओ थे तो काई छै टेम मत करो म भी जार पडू ला", परिवादी- "लेकिन आगे परेशानी न होनी चाहिए जे म भी इन्तजाम करू फेर म आपने सुबह मिल जाउला अभी तो छै कोने म्हारे पास या मन सुबह मिल जाओ एक बार ही बता दयो मन तो थे सर म्हारी श्रदा सारू बताओ भाई ज्यो भी छै क्यो जी" एसओ सोनू- "सही छै", एसओ गिरिराज - "बीस हजार", एसओ सोनू- "अरे मर जावेलो", एसओ गिरिराज - "अरे यो मामलो भी", एसओ सोनू- "मर जावेलो भाई साब समझया करो", परिवादी- "बीस हजार बहुत ज्यादा छै", एसओ सोनू- "ठेकेदारो का आदमी छै थाकी सोगन", परिवादी- "मजाक कोने सात सात हजार रूपया तनखा कमावा छा" एसओ गिरिराज- "थे बता दयो तो", एसओ सोनू- "म कोन बताउ ये माका हिसाब सू", परिवादी- "अब तू बता न फाईनल बता न भाई साब तो बता दिया", एसओ सोनू- "ये तो खे दिया बीस के लिये बीस के लिये ख दिया ये तो अब थारा हिसाब सू तू खे दे भाई साहब म्हारे तो या छै याके जमेली तो फेर म बोल दुलो", परिवादी- "नहीं फेर एक बात और समझाओ मन भाई आपा दे भी देवेला फेर आगे काई परेशानी आवेली मन या तो बता दयो", एसओ गिरिराज- "काई भी को आवे न", एसओ गिरिराज- "बिया भी चालान हग्या तो भी वकीलां न देगा थे", परिवादी- "तो बता दे आप बता दे मन तो सही बताउ", एसओ सोनू- "व तो ख दिया तू तो थारी ख भाई म्हारीया गुजारिश छ काल न किन्तु परन्तु न होणी चाहिये जे फेंर", परिवादी- "अब म्हारी बात तू पन्द्रह हजार में कर लो म सुबह थने ही दे दुला", एसओ गिरिराज - "सोनू न ही कर दी ज्यो", "और कोई सू ज्ञान लीजे मत", आदि वार्ताऐं है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, रिश्वत माँग सत्यापन वार्ता तथा अब तक की गई कार्यवाही से आरोपी गिरिराज प्रसाद गुर्जर, तत्कालीन सहायक पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना मालवीय नगर (पूर्व) आयुक्तालय, जयपुर द्वारा परिवादी श्री सतपाल से उसके खिलाफ मालवीय नगर थाने में दर्ज रिपोर्ट में गिरफ्तार नहीं करने और परिवादी के खिलाफ

कार्यवाही नहीं करने की ऐवज में स्वयं के लिए 15,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा श्री सोनू (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा परिवादी श्री सतपाल से श्री गिरिराज सहायक उप निरीक्षक के लिए 15,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग किया जाना व परिवादी को रिश्वत राशि देने के लिए उत्प्रेरित किये जाने का अपराध प्रथम दृष्टया धारा 7, 7क, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रमाणित है। अतः श्री गिरिराज प्रसाद गुर्जर पुत्र श्री रामदेव गुर्जर, उम्र 55 वर्ष, निवासी ग्राम धामस्या, पोस्ट धूलारावजी, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर तत्कालीन सहायक पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना मालवीय नगर हाल सहायक पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना रामनगरिया (पूर्व) आयुक्तालय, जयपुर तथा श्री सोनू पुत्र स्व. श्री प्रेमचंद, उम्र 38 वर्ष, निवासी 9/5 वाल्मिकी कॉलोनी, अपेक्स सर्किल के पास, मालवीय नगर जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय (नीरज गुरनानी) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7, 7क, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी 1-श्री गिरिराज प्रसाद गुर्जर पुत्र श्री रामदेव गुर्जर, उम्र 55 वर्ष, निवासी ग्राम धामस्या, पोस्ट धूलारावजी, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर तत्कालीन सहायक पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना मालवीय नगर हाल सहायक पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना रामनगरिया (पूर्व) आयुक्तालय, जयपुर तथा 2-श्री सोनू पुत्र स्व. श्री प्रेमचंद, उम्र 38 वर्ष, निवासी 9/5 वाल्मिकी कॉलोनी, अपेक्स सर्किल के पास, मालवीय नगर जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री गम्भीर सिंह, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 407 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 719-22 दिनांक 22-05-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर । 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3- पुलिस उपायुक्त(मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर । 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): Gambheer singh kashana **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 22/05/2025 17:

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/07/1970				
2	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)